गत लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान मुख्य मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र और वायुयानों के इस्तेमाल के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये अनुदेश

2194. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के लोक सभा तथा 1985 के राज्य विधान सभाओं के चुनावों की पूर्व संध्या पर भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के अन्य मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र और विमानों के इस्तेमाल किये जाने हेतु कोई अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया ;

(ग) क्या चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के लिए मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों द्वारा राज्य सरकारों के विमान किराए पर लिए गये थे ; यदि हां, तो ऐसे विमानों का प्रभार किसने चुकाया ;

(घ) क्या सरकार उन मुख्य मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का पालन नहीं किया ; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये, कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन प्रयोजन के लिए शासकीय वायुयानों और यानों सहित सरकारी परिवहन जैसे सरकारी तंत्र के प्रयोग को राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध लागू होते हैं । निर्वाचन आयोग द्वारा परिचालित आदर्श संहिता की प्रति संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट CXXXV, अनुषंग संख्या 51] ।

(ग) लोक सभा निर्वाचन के दौरान सरकारी वायुयानों के उपयोग की बाबत शिकायतों सम्बन्धी ब्यौरा अतारांकित प्रश्न सं० 74, तारीख 21-1-1985 के उत्तर में दे दिया गया है । विधान सभा निर्वाचनों सम्बन्धी ऐसी ही जानकारी निर्वाचन आयोग इकट्ठी कर रहा है और जब भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है । इस समय आदर्श संहिता के उपबन्धों का प्रभाव मात्र नैतिक है । आयोग ने समय समय पर इस बात पर जोर दिया है कि सत्तारूढ़ दल अपने हितों को अग्रसर करने के लिए शासकीय वायुयानों का उपयोग न करे । प्रवर्तन सम्बन्धी परिसीमाओं को ध्यान में रखते हुये आयोग ने सिफारिश की है कि संहिता के उल्लंघन को निर्वाचन-अपराध बना दिया जाये । यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के लिए की गई सिफारिशों का एक भाग है और सरकार के विचाराधीन है ।

Prevention of misuse of religions places for electioneering-

2195. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the recommendation of the Election Commission regarding prevention of misuse of places of worship for electioneering; if so. the details of the decision taken; and

(\b) if not, by when a decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUS TICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Kind attention is invited to the reply given to Starred Question No. 308, dated 13-S-1984- detailing the proposal recommended by the Election Commission. This" proposal along with others sent by the Commission recently is under the consideration of the Government. While ' Governrrif-tnt are keen to put through